

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख



खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

ग्राम:चितावद			पटवारी हल्का:चितावद			तहसील:जूनी इन्दौर			जिला:इन्दौर		वर्ष: 2023-2024
भूमि के भाग की यूनिट आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे		1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना /वक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
									फसल	फसल के अधीन क्षेत्रफल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1525308952 80LLZ8D8RGZDH0	205/1/2/ 2 (S) 205/2		0.0280 हेक्टेयर	जगननाथ पिता छोगालाल रामरतनपिता देवीदीन राजनारायण,भगवानदास पिता मोतीलाल,काशीबाई	1						प्रकरण क्र.0127/अ-6(अ)/2021-22 आदेश दिनांक 26/09/2021 के अनुसार पूर्व में खसरा नं.205/1/मिन-2 से 205/1/2 में परिवर्तित व्यपवर्तन की सूचना क्र.

			बेवा मोतीलाल शिवप्रसाद पिता शिवगोविन्द मनोहरलाल पिता देवीदिन का हिस्सा दिनेश पिता गिरधारी लाल खण्डेलवाल का हिस्सा ०.०९१ में से ०.०२८ रकबा रहेगा शेष रकबा पूवत रहेगा न पति 0.091 हे अर्थात अपने हिस्से मे से चुन्नीलाल का सम्भाग अर्थात 0.091 हे देने के बाद शेष 0.091 आरे					22021462921 चालान क्र. 051/9999999/0029/12/21/077 797 राशि रु. 9240 दिनांक निर्धारित अवधि उपरांत प्रवष्टि की गयी
		रु.840.00	पर हिस्सा रहेगा जाति मुरई पता इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी					मकान बने है प्र क्र 25 अ 6/05- 06 ओदश दि0 22/12/05 अनुसार बटांक स्वीकृत होने से नाम लागू

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है |
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है |
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए आई. टी. सेंटर से, लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें |
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें |